| प्रेस नोट–107 / 2026 |
|---|
| दिनांक 20.02.2026 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## गुमशुदा एवं लापता व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षित बरामदगी के सम्बन्ध में उ0प्र0 पुलिस द्वारा अभियान चलाकर की गई कार्यवाही

गुमशुदा एवं लापता व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षित बरामदगी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।

इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, **श्री राजीव कृष्ण** के निर्देशन में गुमशुदा व्यक्तियों की प्रभावी तलाश एवं उनके अभिलेखों के डिजिटल अद्यतन हेतु एक विशेष अभियान संचालित किया गया, जिसके सार्थक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

### पृष्ठभूमि

दिनांक 01 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2026 तक प्रदेश में गुमशुदा व्यक्तियों के पंजीकरण की कुल संख्या 1,08,372 थी। यह तथ्य संज्ञान में आया कि बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में अपने परिजनों के पास वापस लौट चुके थे, उनकी बरामदगी की सूचना अद्यतन नहीं की गई थी, जिस कारण से डिजिटल अभिलेखों में बरामदगी की दर वास्तविक स्थिति को प्रतिबिम्बित नहीं कर रही थी। पुलिस महानिदेशक द्वारा इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रदेशव्यापी विशेष अभियान प्रारम्भ किया गया।

### अभियान की कार्यवाही

उक्त निर्देश के अनुपालन में समस्त जनपद एवं थाना स्तर पर विशेष पुलिस टीमें गठित की गईं। इन टीमों द्वारा गुमशुदा व्यक्तियों के परिजनों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया, संभावित स्थानों पर सघन खोजबीन की गई तथा अन्य जनपदों एवं राज्यों की पुलिस से समन्वय करते हुए उनकी तलाश की गई। अभियान के दौरान यह भी पाया गया कि —

अनेक प्रकरणों में व्यक्ति स्वयं घर वापस लौट चुके थे, किन्तु परिजनों द्वारा पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। कुछ मामलों में व्यक्तियों के निधन की जानकारी प्राप्त हुई, जबकि कुछ व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य स्थानों पर निवास करते हुए पाए गए। समस्त प्रकरणों का विवरण CCTNS प्रणाली में विधिवत अद्यतन किया गया, जिससे अभिलेख डिजिटल रूप से सुव्यवस्थित एवं निगरानी योग्य हो सके।

### अभियान के परिणाम

इस विशेष अभियान के परिणामस्वरूप गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी दर में अत्यंत उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है —

| **पंजीकृत गुमशुदा व्यक्ति की संख्या** (01.01.2024 से 18.01.2026) | **ट्रेस किये गये व्यक्ति की संख्या** (18.02.2026 तक) | बरामदगी प्रतिशत |
|---|---|---|
| **1,08,372** | **88,022** | **81.22%** |

### भविष्य की कार्ययोजना —

गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी की इस गति को निरन्तर बनाये रखने एवं और सुदृढ़ करने हेतु पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्णा द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2026 को एक विस्तृत परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें निम्नलिखित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं —

- गुमशुदा/लापता व्यक्तियों एवं बच्चों की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल एवं समयबद्ध विवेचनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- प्रत्येक माह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त द्वारा गुमशुदा/लापता व्यक्तियों एवं बच्चों की बरामदगी के लिये विशेष अभियान संचालित किया जायेगा।
- गुमशुदगी के किसी प्रकरण में आपराधिक गिरोह के संलिप्त होने की आशंका होने पर एकाधिक विशेष टीमें गठित कर तत्परता से कार्यवाही की जायेगी।
- विवेचना के दौरान मानव तस्करी के साक्ष्य प्रकट होने पर प्रकरण एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (AHTC) थाने को स्थानान्तरित किया जायेगा।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित "Mission Vatsalya Portal" पर गुमशुदा बच्चों का पूर्ण विवरण अपलोड किया जायेगा।
- Yaksh App के माध्यम से गुमशुदा/लापता व्यक्तियों एवं बच्चों की सूचना सम्बन्धित बीट कर्मियों को स्वतः प्रदर्शित होगी, जिससे त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित हो सकेगी।
- परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक एवं कमिश्नरेट में संयुक्त/अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा प्रत्येक 03 माह में की गई समस्त कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी।
- जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त द्वारा गुमशुदा/लापता व्यक्तियों एवं बच्चों की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी ।

भविष्य में भी इस प्रकार के अभियान निरन्तर संचालित किये जाते रहेंगे, जिससे गुमशुदा व्यक्तियों को शीघ्र उनके परिजनों से मिलाया जा सके तथा प्रदेश में जनसुरक्षा और अधिक सुदृढ़ हो सके।

| प्रेस नोट–108/2026 |
|---|
| दिनांक 20.02.2026 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## कमिश्नरेट आगरा/थाना लोहामण्डी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 फॉर्च्यूनर कार**
- **02 चाबी, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 20.02.2026 को थाना लोहामण्डी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हाईवे प्लाजा के पास से अभियुक्त रिजवान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के निशादेही पर चोरी की 01 फॉर्च्यूनर कार, 02 चाबी, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 17/18.02.2026 को थाना लोहामण्डी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना लोहामण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना लोहामण्डी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–रिजवान निवासी कावेरी बिल्डिंग थाना पनवेल जनपद रायगढ़ महाराष्ट्र।

**बरामदगी**

1–चोरी की 01 फॉर्च्यूनर कार।

2–02 चाबी, 01 मोबाइल फोन आदि।

➢ **जनपद फतेहपुर/थाना हथगांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 12 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना हथगांव पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–सिकंदर 2–सलमान 3–फरहान उर्फ बासू को धारा 147/148/307/302/149 भादवि व

3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 37–37 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 4–शाहिद 5–सिमाब 6–मोबीन 7–मसरूर 8–गय्यूर मोईन 9–असगर 10–रूकनुद्दीन 11–रमेश 12–मुहम्मद हई को धारा 147/148/307/302/149 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 34–34 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कुशीनगर/थाना नेबुआ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 55–55 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना नेबुआ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रामक्यास 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 55–55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **कमिश्नरेट आगरा/थाना सैंया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 33 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय आगरा द्वारा थाना सैंया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अनिल को आजीवन कारावास व 33 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बांदा/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–विशाल 2–सरवन 3–अभियुक्ता को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना नौगावां सादात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना नौगावां सादात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/323/325/307/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–नरूद्दीन 2–सलीमुद्दीन 3–शबाब को 10–10 वर्ष के कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हापुड़/थाना सिम्भावली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना सिम्भावली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/452 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मोहसीन को 10 वर्ष के कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————